



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16102020-222475
CG-DL-W-16102020-222475

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2020, शनिवार / आश्विन 12—आश्विन 18, 1942
No. 31] NEW DELHI, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2020, SATURDAY/ASVINA 12—ASVINA 18, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

सा. का. नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एन. एफ. एस. सी. वर्ग III और IV (भर्ती) नियम, 1957 को, जहां तक कि उनका संबंध प्रधान लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, सहायक (समूह ख) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)
सहायक	दो* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नतियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(11)	
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81100/- रु.) में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक और छात्रपाल जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: ऐसे छात्रपाल या उच्च श्रेणी लिपिक के पद में जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर- 4 (25500-81100/-रु.) में प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पदधारियों द्वारा दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-5 (29,200-92,300 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री, और; (ख) स्थापन, लेखा और साधारण प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा और होमगार्ड) -अध्यक्ष 2. अग्निशमन सलाहकार, महानिदेशक कार्यालय -सदस्य (अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा और होमगार्ड) 3. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर के प्रशासनिक प्रधान -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
1. महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा और होमगार्ड)	-अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के प्रशासनिक प्रधान	-सदस्य
3. आपदा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य

[फा. सं. I-12013/2/2017-Ad(CD)]

गौरी शंकर झा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th October, 2020

G.S.R. 141 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the N.F.S.C. Class III and IV (Recruitment) Rules, 1957 in so far as they relate to the post of Head Clerk except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Fire Service College, Nagpur, Assistant, (Group B) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant	Two (2020) subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Ministerial	Level 6 (Rs.35400-112400/-) in the Pay matrix	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which by Deputation.	Promotion: Upper Division Clerk and Hostel Warden of NFSC, Nagpur in Level 4 (Rs.25500-81100/-) in the Pay matrix with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successful completion of 2-4 weeks training in the field as prescribed by Department. Note 1.- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of ten years of regular service by the officials in Pay Level-4 (25500-81100) in the pay matrix in the post of Hostel warden or Upper Division Clerk. Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories:- (A) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 5 (Rs.29200-92300/-) in the parent cadre or department, and (B) Possessing the following educational qualifications and experience: (a) Bachelor's Degree of a recognised University or Institute, and (b) two years' experience in establishment, accounts and general administration. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director General (Fire Service, Civil Defence and Home Guards) - Chairman 2. Fire Advisor, Office of Director General (Fire Service, Civil Defence and Home Guards) - Member 3. Administrative Head of National Fire Service College, Nagpur - Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of :- 1. Director General (Fire Service, Civil Defence and Home Guards) -Chairman 2. Administrative Head of National Fire Service College, Nagpur - Member 3. Representative of Disaster Management Division - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. I-12013/2/2017-Ad(CD)]

GOURI SHANKAR JHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (ऑपरेशन थियेटर परिचर) (समूह 'घ' पद), भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर परिचर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन थियेटर परिचर	*04 (चार) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

आवश्यक अनुभव: कम से कम 50 बिस्तरों वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का न्यूनतम छह महीने का अनुभव। टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. कलावती सरन बाल अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर विभाग के अध्यक्ष - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता

[सं. ए.11018/32/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th October, 2020

G.S.R. 142 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Operation Theatre Attendant)(Group 'D' posts), Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Attendant in the Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operation Theatre Attendant	*04(four) 2020 *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age. Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.	(i) 10 th class pass from a recognised Board ; and (ii) Certificate in First Aid from a recognised institute. Essential Experience : Minimum six months experience of working in an Operation Theatre of a recognised hospital of minimum 50 beds. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1.Head of the Operation Theatre Department in Kalawati Saran Children Hospital -Chairman; 2.Deputy Director, Kalawati Saran Children Hospital -Member; 3.Deputy Director looking after the work of Kalawati Saran Children Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable

[No. A.11018/32/2019-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 143.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामशः :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में संबद्ध लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हता आदि.**—भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता और इससे संबंधी अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता.**—वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	02* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रु.)

क्या चयन पद या अचयन पद हैं	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए योग्यता व अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नतों के मामले में भी लागू होगी
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु: लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हता: लागू नहीं।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती अथवा प्रौन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेदनद्वारा और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती के मामले में प्रौन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन करने के द्वारा, ग्रेड जिसके द्वारा प्रौन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: वेतन मेट्रिक्स के लेवल-5 (29200-92300 रु.) में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा। नोट : जहां कनिष्ठ कर्मचारियों ने अर्हक या योग्यता सेवा पूरी कर ली हो और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हो, वहां वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या योग्यता सेवा वांछित अर्हक या योग्यता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और उन्होंने अगले उच्चतर पद हेतु पदोन्नति के लिए अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक या योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रौद्योगिकी समिति मौजूद है, तो उसका संघटन क्या है।	भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:- 1) अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) या निदेशक (हस्तशिल्प) (प्रशासन से संबंधित) - अध्यक्ष; 2) उप निदेशक (हस्तशिल्प) - सदस्य; 3) सहायक निदेशक (प्रशा.) - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) में शामिल हैं :- 1) अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) या निदेशक (हस्तशिल्प) (प्रशासन से संबंधित) - अध्यक्ष; 2) उप निदेशक (हस्तशिल्प) - सदस्य; 3) सहायक निदेशक (प्रशा.) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-20020(32)/2009-प्रशा.]

अरुण कुमार यादव, निदेशक (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)]

New Delhi, the 6th October, 2020

G.S.R. 143 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Staff Car Driver (Special Grade).	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By promotion	Promotion: Staff Car Driver (Grade -I) in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with three years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in marking recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Development Commissioner(Handicrafts) or Director(Handicrafts) (dealing with administration) - Chairman; 2. Deputy Director (Handicrafts) - Member; 3. Assistant Director (Administration) - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Development Commissioner(Handicrafts) or Director(Handicrafts) (dealing with administration) - Chairman; 2. Deputy Director (Handicrafts) - Member; 3. Assistant Director (Administration) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-20020(32)/2009-Admn.]

ARUN KUMAR YADAV, Director(H)

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 144 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, समूह 'क' और समूह 'ख': जल मौसम विज्ञान पद भर्ती नियम, 2015 को, इन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग में उप निदेशक (जल मौसम विज्ञान), सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान), अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) और वैज्ञानिक सहायक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, उपनिदेशक (जल मौसम विज्ञान) अतिरिक्त सहायक (जल मौसम विज्ञान) और वैज्ञानिक सहायक (समूह 'क' और 'ख' पदों) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपनिदेशक (जल मौसम विज्ञान)	4*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभाग पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,5500 रु.) में कार्यरत ऐसे सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से बाढ़ पूर्वानुमान में उपयोजन और जल मौसम विज्ञान आकड़ों के विश्लेषण के लिए तकनीक में सात दिनों का प्रशिक्षण (स्तर-IV) सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा किया हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में पांच वर्ष का अनुभव; या - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में सात वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक है, जब किसी अधिकारी की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर करना हो। (इसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)
(1) अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष	
(2) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	
(3) मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	10* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—10 (56,100-1,77,500 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7(44,900-1,42,400 रु.) में कार्यरत ऐसे अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से बाढ़ पूर्वानुमान में उपयोजन और जल मौसम विज्ञान आकड़ों के विश्लेषण के लिए तकनीक में सात दिनों का प्रशिक्षण स्तर-III सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो : (क) (I.) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर -9 (53,100-1,67,800 रु.) में नियमित आधार पर पद धारण किये हुए है या इसके सदृश पद धारण किया हुआ है, या

(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8(47,600-1,51,100 रु.) या इसके सदृश पदों में, नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा किया हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

- I. जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में तीन वर्ष का अनुभव; या
- II. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य (3) निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	24* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—7 (44,900 - 1,42,400-रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)

प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6(35,400-1,12,400 रु.) में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से बाढ़ पूर्वानुमान में उपयोजन और जल मौसम विज्ञान आकड़ों के विश्लेषण के लिए तकनीक में सात दिनों का प्रशिक्षण स्तर-II सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के प्रशासन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो :

(क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6(35,400-1,12,400 रु.) या इसके सदृश पदों में, नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा किया हो।

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

- (i) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में एक वर्ष का अनुभव; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :-

1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य
2. निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य
3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य
4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. वैज्ञानिक सहायक	40* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35,400 - 1,12,400-रु.)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(i) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या भू-विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल

				भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या भू-भौतिकी या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ जल मौसम विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव
--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	25% प्रोन्नति द्वारा और 75% सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5(29,200-92,300 रु.) में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ संगणक जिन्होंने इस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से बाढ़ पूर्वानुमान में उपयोजन और जल मौसम विज्ञान आकड़ों के विश्लेषण के लिए तकनीक में सात दिनों का प्रशिक्षण स्तर-I सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष - निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य - सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य - निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष - निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य - सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य - निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 25th September, 2020

G.S.R. 144 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the **Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Group ‘A’ and Group ‘B’, Hydrometeorology Posts Recruitment Rules, 2015**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Hydrometeorology), Assistant Director (Hydrometeorology), Extra Assistant Director (Hydrometeorology) and Scientific Assistant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Deputy Director (Hydrometeorology), Assistant Director (Hydrometeorology), Extra Assistant Director (Hydrometeorology) and Scientific Assistant (Group ‘A’ and ‘B’ Posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Director (Hydrometeorology)	4* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group ‘A’	Level 11 in the pay matrix (Rs.67,700 -2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	100 per cent by promotion failing which by deputation (including short term contract)	Promotion: Assistant Director (Hydrometeorology) in the level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500) with five years of regular service in the grade and having successfully completed level-IV training of seven days in techniques for analysis of Hydro-meteorological data and application in flood forecasting from National Water Academy, Pune. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or the State Government or Union territory administration or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the posts in the level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or institute with five years experience in hydrometeorological work; or (ii) Bachelor's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University with seven years experience in hydrometeorological work.

			Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Central Water Commission –Chairman; 2. Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; 3. Chief Engineer, Central Water Commission – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Director (Hydrometeorology)	10*(2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group 'A'	Level- 10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	100 per cent by promotion failing which by deputation including short term contract	Promotion: Extra Assistant Director (Hydrometeorology) in the level 7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) with three years of regular service in the grade and having successfully completed level-III training of seven days in techniques for analysis of Hydrometeorological data and application in flood forecasting from National Water Academy, Pune. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or

		eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or the State Government or Union territory administration or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post or post in level 9 in the pay matrix (Rs.53,100-1,67,800) on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the posts in the level 8 in the pay matrix (Rs.47,600- 1,51,100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or institute with three years experience in Hydrometeorological work; or (ii) Bachelor's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University with five years experience in Hydrometeorological work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	---

(12)	(13)
Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Chief Engineer, Central Water Commission – Member; 3. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Director, Central Water Commission - Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Extra Assistant Director (Hydrometeorology)	24* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'B'	Level 7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	100 per cent by promotion failing which by deputation including short term contract.	Promotion: Scientific Assistant in the level 6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed level-II training of seven days in techniques for analysis of hydro-meteorological data and application in flood forecasting from National Water Academy, Pune. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including shortterm contract): Officers of the Central Government or the State Government or Union territory administration or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the posts in the level 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) master's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or institute with one year experience in hydrometeorological work; or (ii) Bachelor's degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University with three years experience in hydrometeorological work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for

			appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Secretary, Central Water Commission - Member; 4. Director, Central Water Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Scientific Assistant	40* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level 6 in the pay matrix (Rs35,400-1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years age. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i) masters degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or institution; or Bachelors degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognised University or institution with two years experience in Hydrometeorological work.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	25 per cent by promotion and 75 per cent by Direct recruitment	Promotion: Senior Computer in the level 5 in the pay matrix (Rs.29,200 – 92,300) with six years of regular service in the grade and having successfully completed level I training of seven days in techniques for analysis of hydrometeorological data and application in flood forecasting from National Water Academy, Pune. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have

			successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Secretary, Central Water Commission - Member; 4. Director, Central Water Commission - Member. Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Secretary, Central Water Commission - Member; 4. Director, Central Water Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.A-12018/05/2017-E-I]

A.K. DAS, Under Secy .